	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 04, मंगलवार, *शाके* 1945-सितम्बर 26, 2023 *Asvina 04, Tuesday , Saka 1945- September 26, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2023

जी.एस.आर.141 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 21.07.2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष **अनुभाग-I-प्रचार** के अधीन,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

1	सहायक कृषि अधिकारी	60%	40%	वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव; या कृषि पर्यवेक्षक और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पदों का कुल आठ वर्ष का अनुभव	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी.एससी. (कृषि) या	40 वर्ष

					जिसमें से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर एक वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा: परंतु, यदि अन्य पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो वर्ष 2023-24 की वि.प.स. हेतु, सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के रूप में एक वर्ष के अनुभव की शर्त किसी एक बारीय उपाय के रूप में शि थिलित रहेगी।	बी.एससी. (उद्यान-कृषि)।	

”

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 1 क और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“

1क.	वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक	100%	-	कृषि पर्यवेक्षक	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर पांच वर्ष का अनुभव।	-	-

”

[सं.एफ.2(5)डीओपी/ए-II/77]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 22, 2023

G.S.R.141 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules , 1978, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Agriculture Subordinate Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 21.07.2022.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978, under the heading Section-I-Extension,-

(i) the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Assistant Agriculture Officer	60%	40%	Senior Agriculture Supervisor	Three years' experience on the post mentioned in column 5 or Eight years' combined experience of the posts of Agriculture Supervisor and Senior Agriculture Supervisor out of which one year's experience of the post of Senior Agriculture Supervisor shall be essential: Provided that the condition of the one year experience as Senior Agriculture Supervisor shall remain relaxed as a onetime measure, for the DPC year 2023-24 for the promotion to the post of	B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) from a University established by law in India.	40 years

					Assistant Agriculture Officer, if other eligible and suitable persons are not available.		

”

(ii) after the serial number 1 and entries thereto, so substituted and before the existing serial number 2 and entries thereto, the following new serial number 1A and entries thereto shall be inserted, namely:-

“

1A.	Senior Agriculture Supervisor	100%	-	Agriculture Supervisor	Five years' experience on the post mentioned in column 5	-	-

”

[No F.2(5)DOP/A-II/77]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.